न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कैराना, शामली

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1394/2022

तनवीर कुरैशी पुत्र इकबाल, निवासी मौ० छडियान कस्बा व थाना कैराना, जिला शामली।

.... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली।

.... विपक्षी,

मु०अ०सं० 209/2019,
धारा–3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधि०
थाना कैराना , जिला शामली।

दिनांकः–07.09.2022

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2022 को प्रस्तुत किया गया था लेकिन अभी तक सुनवायी नहीं हो पायी। चूँकि आवेदक/अभियुक्त अन्य वाद मु०अ०सं० 414/2020, अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कैराना में दिनांक 02.09.2022 को जेल चला गया है। इस कारण उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का उददेश्य समाप्त हो गया है। इस कारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहता है और वापस लेना चाहता है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल नहीं दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक/अभियुक्त की ओर से बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

(सुरेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कैराना, शामली